राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 89/2022

प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि मोडूलाल जाति कीर निवासी सोनवां तहसील मांगरोल

.......वादिनी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री रजत कुमार विजयवर्गीय (आरएएस)

वकील वादिनी : श्री दयाकृष्ण धाकड़

दायरा दिनांकः 16.06.2022 निर्णय दिनांक : 13.08.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादिनी के आराजी खाता संख्या 51 खसरा नं0 331 रकबा 0.84 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.84 है0 एवं खाता संख्या 232 खसरा नं0 14 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 39 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादिनी का नाम प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल के स्थान पर चमेली पुत्री प्रभूलाल दर्ज हो रहा है। जबकि वादिनी का वास्तविक नाम प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल है। जिसको वादिनी चमेली पुत्री प्रभूलाल के स्थान पर प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादिनी का नाम अन्य दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, जनआधार आदि में प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में चमेली पुत्री प्रभूलाल के स्थान पर प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादिनी का नाम चमेली पुत्री प्रभूलाल के स्थान प्रेमबाई पुत्री प्रभूलाल दुरुस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 16.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2022/1294 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार वादिनी चमेली पुत्री प्रभुलाल पत्नी मोडूलाल जाति कीर को प्रेमबाई व चमेली बाई पुत्री प्रभुलाल जाति कीर को दोनो नामों से जाने जाना पहचाना व बोला जाता है। दोनो नाम एक ही महिला के है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम चमेली पुत्री प्रभुलाल के स्थान पर चमेली बाई उर्फ प्रेमबाई पुत्री प्रभुलाल सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरौल (लैण्ड होल्डर) की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो के आधार पर आराजी खाता संख्या 51 खसरा नं0 331 रकबा 0.84 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.84 है0 एवं खाता संख्या 232 खसरा नं0 14 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 39 रकबा 0.81 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.52 है0 वाके ग्राम सोनवां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादिनी का नाम चमेली पुत्री प्रभुलाल के स्थान पर चमेली बाई उर्फ प्रेमबाई पुत्री प्रभुलाल दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादिनी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय में जैरकार हो उसके लिए वादिनी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मजमेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

(रजत कुमार विजयवर्गीय)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner